न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी : श्री हरिसिंह मीना, आर.ए.एस.

अपील संख्या 15/2020

अपीलार्थी

1. दरिया कंवर पुत्री श्री सोहनसिंह एवं पत्नी पपुसिंह निवासी सोढाकोर तहसील जैसलमेर जिला जैसलमेर।
2. प्रेम कंवर पुत्री श्री सोहनसिंह एवं पत्नी जुगतसिंह निवासी खीयांसरिया तहसील लोहावट जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. रामसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह निवासी सवालिया तहसील शेरगढ जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, फतेहगढ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भूराजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री हरिसिंह भाटी अपीलांट की ओर से ।
2. श्री रेवतसिंह भाटी अधिवक्ता रेस्पोण्डेंट संख्या 01 की ओर से।
3. पैरोपकार राज. तहसीलदार फतेहगढ।

निर्णय दिनांक 23.02.2021

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई व नोटिस रेस्पोडेन्ट को जारी किये गये। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 01 आपस में भाई–बहिन हैं तथा सोहनसिंह पुत्र श्री आईदानसिंह की जायंदा संतान हैं। अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की पैतृक भूमि ग्राम छोडिया के खसरा नं0–55,70,71,72 में 354 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा नं0– 53 व 54 में 172 बीघा 02 बिस्वा बारानी भूमि कुल 526 बीघा 14 बिस्वा बारानी भूमि आई हुई थी जिसमे भेरूसिह पुत्र गणपतसिह, सोनसिह, कानसिह, गायडसिह, पिसरान आइदानसिह बराबर हिस्सेदार थे। शामलाती खातेदार कानसिह लाऔलाद फोत होने एवं अपीलांट दरिया कंवर के पिता सोनसिह के देहान्त उपरान्त नामान्तरण संख्या 247 एवं 246 दिनांक 05.08.2008 पारित किया जिसमे भेरूसिह पुत्र गणपतसिह 1/3, रामसिह पुत्र सोनसिह 1/3, गायडसिंह पुत्र आईदानसिह 1/3 हिस्सा दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने पिता सोनसिंह के अपने अलावा दोनो बहिनो जो कि अपीलांट है को छिपाते हुए एक मात्र स्वयं को सोनसिंह का वारिस बताकर अपने नाम से नामान्तरण दर्ज करवाया जिसकी जानकारी अपीलांटगण को दिनांक 02.10.2020 को हुई जिस पर संबधित दस्तावेज की नकल लेकर अपील दिनांक 14.10.2020 को प्रस्तुत की गई अपील प्रस्तुतीकरण मे कारित विलम्ब को क्षम्य करने के लिये पृथक से धारा 5 म्याद अधिनियम के अर्न्तगत आवेदन प्रस्तुत किया जाकर अपील समयावधि मे शुमार करने का अनुरोध किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(ए.डी.एम.) जैसलमेर

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से अपील में उल्लेखित तथ्यों के संबध में जबाव प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 इस तथ्य को स्वीकार करता है कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 आपस मे भाई–बहिन हैं तथा सोहन सिंह पुत्र श्री आईदानसिंह की जायदा संतान हैं। अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 पैतृक रूप से ग्राम छोडिया तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर में निवास होना बताया तथा वर्तमान में ग्राम सवालिया तहसील शेरगढ जिला जोधपुर में निवास कर रहे है। अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की पैतृक भूमि ग्राम छोडिया के खसरा संख्या 55,70,71,72, में 354 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा संख्या 53 व 54 में 172 बीघा 02 बिस्वा बारानी भूमि कुल 526 बीघा 14 बिस्वा बारानी भूमि आई हुई है रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिताजी के देहान्त उपरान्त रेस्पोडेन्ट ही भूमि का उपयोग कर रहा है। अपीलांट ने कभी काश्त नहीं की तथा यह तथ्य भी गलत है कि उन्होने कभी काश्त कार्य में ही हिस्सा मांगा था अथवा ना हीं कभी हिस्सा दिया गया था। हिन्दू रिवाज एवं समाज के रीतिरिवाज में पुत्रियों के विवाह के समय ही जमीन जायदाद का अनुपातिक मूल्य का उपहार दहेज के रूप में दिया जाता है तथा आगे ससुराल पक्ष में सम्पति का हकदार बन जाती है। रेस्पोडेन्ट की बहिने अपीलांटगण भी इस रिवाज से सहमत थी तथा अपील पेश करने से पहले रेस्पोडन्ट से कभी पैत्रिक भूमि में हिस्सा नहीं मांगा गया था। पिताजी के देहान्त उपरान्त जो इन्तकाल भूमि का दर्ज किया गया उसकी सम्पूर्ण जानकारी अपीलांटगण को थी। अब भूमि की किमत बढने से कानूनी दाव पेंच लगाये जा रहे है। अपील के पैरा संख्या 01 में दिये गये तथ्य अस्वीकार है नामान्तरण संख्या 246,247 आपसी सहमति से दर्ज किया गया है नियमानुसार रेस्पोडेन्ट अपने पक्ष में नामान्तरण का हकदार है। लम्बे समय बाद नामान्तरण को चुनौती देना विधि विरूद्ध है। पैरा संख्या 02 में दिये गये तथ्य अस्वीकार है नामान्तरण दर्ज करने के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा ग्राम पंचायत की सर्व सहमति एवं जांच उपरान्त जारी किये गये वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया जाता है। इस प्रकार एकतरफा कार्यवाही करना गलत है। पैरा संख्या 03 के तथ्य अस्वीकार है कि रेस्पोडेन्ट ने बिना अपीलांटगण को बताये अथवा सहमति के बिना नामातंरण की कार्यवाही करवाई है। पैरा संख्या 04 के तथ्य अस्वीकार है। पैरा संख्या 05 के तथ्य अस्वीकार है अपीलांटगण ने सहमति दी कि ग्राम छोडियों की भूमि में हमारा हक नहीं होगा। पैरा संख्या 06 में बताये गये तथ्य झूठ होने के कारण अस्वीकार है। पैरा संख्या 07 से 09 रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से संबधित नहीं होना बताया गया है। रेस्पोडेन्ट सं. 01 ने अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 02 तहसीलदार, फतेहगढ द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया है कि अपील में पैरा सं. 01 में अंकित रेकर्ड परीक्षण योग्य है। पैरा सं. 02 में लिखे तथ्य सही नही होने के कारण अस्वीकार है। पंचायत प्रस्ताव पर विश्वास कर नामान्तरण कार्यवाही की गई है। पैरा सं. 03 रेकर्ड/पंचायत वारिसान के परीक्षण से सम्बन्धित है। पैरा सं. 04 में लिखे तथ्य सही नही होने के कारण अस्वीकार है। पैरा सं. 05 न्यायालय से सम्बन्धित नही होना बताया गया है। पैरा सं.

अतिरिक्त जिला कलक्टर

06 सही नही होने के कारण अस्वीकार है नामान्तरण दर्ज हुए लम्बा समय होना बताया गया है। पैरा सं. 07 से 09 न्यायालय से सम्बन्धित नही होना बताया गया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। समयावधि के बिन्दु पर न्यायहित में अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना निश्चित किया जाता है।

गुणावगुण के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का अनुतोष चाहा। रेस्पोडेंट संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपने तर्क में अपीलांट या रेस्पोडेंट संख्या 01 की सगी बहिने होने का तथ्य स्वीकार किया परन्तु उनका तर्क रहा कि अपीलांट को प्रश्नगत भूमि के मूल्य के हिस्से की राशि के बराबर सामान विवाह में दिया जा चुका है। उनका प्रश्नगत भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है और न ही पैदावार में उनको कभी कोई हिस्सा दिया गया है। उनका तर्क रहा कि अपील अपीलांट सारहीन होने से अस्वीकार की जाय।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया। अपीलांट स्व. सोहन सिंह की जायंदा पुत्रियां है व रेसपोडेन्ट संख्या 01 रामसिंह भी स्व. सोहनसिंह का जायंदा पुत्र है। हिन्दु विधि के प्रावधानों के तहत पुत्रियां भी अपने पिता की सम्पति में समान अधिकार रखती है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत नामान्तरण विधि सम्मत नहीं ठहरते। अतएव अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरण संख्या 246 एवं 247 दिनांक 05.08.2008 अपास्त कर तहसीलदार, फतेहगढ को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे मृतक सोहनसिंह के वारिसान के हक में नियमानुसार नामातंरण दर्ज व स्वीकार करने की कार्यवाही करे। उभय पक्ष अपना अपना व्यय वहन करे।

(हरिसिंह मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिसिंह मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर